जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-( )जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./2007/डी-1493 दिनांक: 24/10/07

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 42 वी बैठक दिनांक: 16.10.07 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है । बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं0	जोन सं0	प्रस्ताव सं0	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1.		42:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 41 वी बैठक दिनांक: 31.8.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत् ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 41वी बैठक दिनांक: 31.8.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
2.	9	42:2	शेखावाटी अंचल संस्थान को बालिका विद्यालय हेतु भूमि आवंटित के स्थान पर महल ए, बी ब्लाक में भूमि आवंटन करने के क्रम में।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 26.7.06 में आवासीय आरक्षित दर के 25प्रतिशत पर 2000 व.मी. भूमि ग्राम दांतली सिरोली योजना में शेखावाटी अंचल संस्थान को बालिका विद्यालय स्थापित्त करने के लिए आवंटित की थी। जिसकी एवज में 18.10.06 को सम्पूर्ण राशि जमा हो चुकी थी। पूर्व में जो भूमि आवंटित की उसपर राजकीय स्कूल ने कब्जा कर चारदीवारी बना दी। राजकीय स्कूल को भी इसी योजना में भूमि आवंटित हुई, परन्तु राजकीय स्कूल ने इसे आवेटित भूमि के स्थान पर शेखावाटी अंचल को आवंटित भूमि पर दीवार बनाकर कब्जा कर लिया क्योंकि राजकीय स्कूल को आवंटित भूमि पर अन्य का कब्जा था इस कारण शेखावाटी अंचल संस्थान बालिका विद्यालय हेतु भूमि का कब्जा नहीं संभलाये जाने के कारण दिनांक 31.8.07 की एल.पी.सी. मीटिंग में प्रचलित दर पर महल योजना ए, बी ब्लॉक में 2000 व.मी. भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 3(55)नविवि/3/02/ दिनांक 14.2.05 के प्रावधानानुसार विद्यालय को आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही राज्य सरकार का क्रमांक प 3(64)नविवि/3/06 दिनांक 19.8.06 के द्वारा भी राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक दिनांक 5.7.07 द्वारा भी 2000व.मी. भूमि 25प्रतिशत आरक्षित आवासीय दर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। अतः प्रकरण 2000 वर्गगज भूमि का प्रचलित दर के स्थान पर 25

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				प्रतिशत वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पूर्व में आवासीय आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर संस्था को ग्राम दातली सिरोली योजना में भूमि आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रचलित दर के स्थान पर 25 प्रतिशत वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन के निर्णयार्थ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।
3.	9	42:3	ट्रीनिटी हैल्थ नेट प्रा.लि. को जगतपुरा में भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी कम्पनी को 30 एकड़ भूमि आवंटित की जानी थी जिसमें स्टेट मेडिकल प्लानिंग एण्ड रिसोर्स कमेटी की शासन सचिव, चिकित्सा की अध्यक्षता में हुई मिटिंग दिनांक 7.11.06 के निर्णयानुसार 12एकड़ भूमि आरक्षित दर का 40प्रतिशत पर आवंटन पूर्व में किया जा चुका है तथा शेष 18एकड़ बीडी की 23वीं बैठक की पालना में आवंटित की जानी है। प्रकरण में भूखण्ड संख्या जी-1 से जी-3 कुल 49140वर्गमीटर = 12.14 एकड़ भूमि में से भूखण्ड संख्या जी-1 की रोड से लगती हुई 0.14एकड़ भूमि को छोड़ते हुए 12एकड़ भूमि का आवंटन आरक्षित दर की 40प्रतिशत पर किया जा चुका है। जोन की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर 4125/-रूपये प्रतिवर्गमीटर, व्यवसायिक आरक्षित दर 6600/- प्रति व.मी. आवासीय आरक्षित दर 3300/- प्र.व.मी. है। भूखण्ड संख्या जी-1 का शेष क्षेत्रफल 0.14एकड़ तथा जी-4, जी-6, जी-7 व व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी-1 से सी-3 कुल क्षेत्रफल 84668.58 व.मी. जो 20.92एकड़ भूमि में से 18एकड़ भूमि आवासीय उपयोग में लिये जाने वाली भूमि आवासीय आरक्षित दर से तथा अन्य उपयोग में ली जाने वाली भूमि संस्थनिक आरक्षित दर से आवंटन हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बी.डी. के निर्णयानुसार निर्धारित शर्तो पर प्रस्तावानुसार भूमि आंवटित की जावें।
4.	9	42:4	सैन्ट्रल स्पाइन योजना जगतपुरा क्षेत्र में फायर स्टेशन को भूमि आवंटन बाबत।	जविप्रा की 54वीं बैठक दिनांक 17.3.07 एवं 19.3.07 में जनप्रतिनिधि द्वारा चर्चा के बिन्दु संख्या 3 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में फायर स्टेशन सैन्ट्रल स्पाइन योजना के भूखण्ड संख्या एस-24ए क्षेत्रफल 1578.79व.मी. का चिन्हीकरण किया जाकर आरक्षित/आवंटन करने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार फायर स्टेशन हेतु भूमि आरक्षित कर दी जावें। विधिवत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।
5.	12	42:4(1)	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के संबंध में डॉ.बी.आर.अम्बेडकर पीठ एवं अम्बेडकर पार्क की स्थापना हेतु भूमि	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी (वित्त मंत्री) द्वारा बजट भाषण वर्ष 2007-08 के बिन्दु संख्या 80 पर अम्बेडकर पीठ एवं अम्बेडकर पार्क की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग देने की घोषणा की क्रियान्विती के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 24.3.07 में अम्बेडकर पीठ एवं अम्बेडकर पार्क

			आवंटन करने के संबंध में।	के लिए ग्राम मूण्डला तहसील जमवारागढ़ के खसरा नम्बर 3/1, 5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 व 7/1 कुल किता 9 क्षेत्रफल 75बीघा 3बिस्वा भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख शासन सचिव (कला एवं संस्कृति विभाग) के पत्र दिनांक 5.10.07 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का नि:शुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया जाना है, लेकिन नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 11.4.07 के अनुसार भूमि की आवंटन दर का निर्धारण मंत्री मंडलीय उपसमिति के द्वारा किये जाने का उल्लेख है। प्रकरण की महत्ता एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भूमि का आवंटन जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 8.10.07 को जारी किया जा चुका है, चूंकि प्रश्नगत भूमि का आवंटन कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार को अंबेडकर पीठ एवं अंबेडकर पार्क की स्थापना हेतु किया जाना है अत: भूमि का नि:शुल्क आवंटन हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार को भूमि आवंटित करने एवं निशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
6.	12	42:4(2)	इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लि. नई दिल्ली के "जयपुर मेगा ट्यूरिज्म सिटी" (अप्पू घर) की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लि.नई दिल्ली द्वारा जयपुर में मेगा ट्यूरिज्म सिटी की स्थापना हेतु ग्राम दौलतपुरा कोटडा तहसील आमेर में 300एकड़ भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम दौलतपुरा कोटडा तहसील आमेर में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की 161.26 हैक्टेयर (398एकड़) भूमि है, जिसमें से 300एकड़ भूमि बीडी के निर्णयानुसार आवेदक संस्था को आवंटन किये जाने का निर्णय किया जाना है। उक्त भूमि की किस्म चरागाह है। यह भूमि अजमेर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले एक्सप्रेस बाईपास के दोनों और स्थित है। मौके पर उक्त भूमि के कुछ भाग पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया हुआ है। मास्टर विकास प्लान 2011 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का भूउपयोग इकोलोजिकल दर्शित है। बीडी की 23वी बैठक दिनांक 10.8.07 के निर्णयानुसार (बिन्दू संख्या 23) भूमि एवं संपत्ति समिति द्वारा आवेदक संस्था को ग्राम दौलतपुरा कोटडा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1143/1503, 1280, 1281, 1287/1507, 1287/1508, 1291, 1292, 1300, 1301, 1302, 1303, 1318, 1319, 1331, 1332, 1340, 1347, 1348, 1350, 1352, 1389/1416, 1391, 1392, 1394, 1395 कुल किता 25 कुल रकबा 161.26हैक्टेयर (अर्थात् 398एकड़) में से 300एकड़ भूमि आवंटन किये जाने हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बीडी के निर्णयानुसार निर्धारित शर्तो पर प्रस्तावानुसार भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
7.	7	42:4(3)	गोविंदपुरा करधनी योजना में निम्न तीन शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यालय के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत्। महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा, महर्षि	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि गोविन्दपुरा योजना, कालवाड रोड, जयपुर में स्कूल भूमि के लिए तीन संस्थाओं ने आवेदन किया था जिनके नाम 1. रधुराज एकेडमी शिक्षा समिति, गोविन्दपुरा (2) अभिनव मार्डन एज्यूकेशनल सोसायटी, जयपुर (3) महर्षि शिक्षण संस्थान, जयपुर है। प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति समिति की बैठक संख्या 41वी दिनांक 31.8.07 में प्रकरण को भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत किया गया। भूमि एवं सम्पत्ति की बैठक दिनांक 31.8.07 के निर्णय अनुसार महर्षि शिक्षा संस्थान तथा अभिनव एजुकेशन सोसायटी को पात्रता की जॉच के

प्रति० शासुक्त (एल.डी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			विद्या पीठ सी. से. स्कूल के लिये 2. अभिनव मार्डर्न एजूकेशन सोसायटी द्वारा शिवानी विद्याश्रम विद्यालय के लिए रघुराज एकेडमी शिक्षा समिति द्वारा रघुराज ऐकेडमी सी. सै. स्कूल के लिए	पश्चात 4200-4200 वर्ग गज भूमि का नियमानुसार आवंटन का निर्णय लिया। रघुराज एकेडमी के द्वारा प्रस्तुत शिकायत के क्रम में प्रकरण को तथ्यों सहित आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि प्रकरण आगामी एल.पी.सी. की बैठक में रखकर प्रार्थी संस्था को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है ताकि उनकी ग्रिवेन्स दूर हो सके। अतः प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति ने रघुराज एकडेमी के प्रतिनिधी को सुना। प्रतिनिधी ने अभिनव मॉडर्न एजूकेशनल सोसायटी एवं महर्षि शिक्षण संस्थान को भूमि आंवटन पर ऐतराज जताया। तथा अपनी संस्था को भूमि आवंटन की मांग की। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि उक्त दोनों संस्थाओं को भूमि आवंटन की पात्रता की जॉच अतिरिक्त आयुक्त भूमि द्वारा की जावें। रघुराज एकेडमी के लिए वैकल्पिक स्थान पर भूमि की तलाश की जावें। तत्पश्चात प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त एवं (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
4- प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
5- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
7- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
8- प्रो0 बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
9- श्री कालीचरण सर्राफ, विधायक, जौहरी बाजार
10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14- जिला कलक्टर, जयपुर
15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
25- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त एवं (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ठ–अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 42वीं बैठक दिनांक 16–10.07 में उपस्थित रहे जन–प्रतिनिधियों/अधिकारियों की सूची:–

क्र. सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डी.बी.गुप्ता,आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा मा. विधायक	सदस्य
3.	श्री राम निवास मीणा, सचिव,जविप्रा	सदस्य
4.	श्री बी.के.दोषी, अतिरिक्त आयुक्त पूर्व	सदस्य
5.	श्री एन.के.खीचा, अतिरिक्त आयुक्त भूमि	सदस्य
6.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त एल.पी.सी.	सदस्य सचिव
7.	श्री कौमुदी गुप्ता, निदेशक वित्त	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमन्त्रित
9.	श्री एस.मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमन्त्रित
10.	श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमन्त्रित
11.	श्री डी.आर.सैनी, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमन्त्रित
12.	श्री अरूण जोशी, पी.आर.ओ.	विशेष आमन्त्रित

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर